न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 11/2023

1. धर्मपाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

—अपीलान्ट

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—असल रेस्पोडेन्ट

2. किशनलाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मुन्नालाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. शिवभगवान पुत्र मामचन्द जाति सुनार साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—तरतिबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः—05/02/2024

अपीलांट धर्मपाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार साकिन भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 05.09.2018 द्वारा नामान्तरण संख्या 519 चक नं0 5 बी.एच.डी. तहसील भादरा तस्दीक किया गया, को निरस्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट्स की आराजी खातेदारी मौजा चक न. 5 बी.एच.डी. तहसील भादरा के मु.न. 46 के किला न. 11, 12 व मु.न. 47 के किला न. 12 से 15 में किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम किला के उत्तरी ओर सवा आठ फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा की अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई दिनांक 18.05.2018 को स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक नं. 5 बी. एच. डी. तहसील भादरा के मु.न. 46 के किला न. 11, 12 व मु.न. 47 के किला न. 12 से 15 में किला लाईन के पास पास पूर्व से पश्चिम किला के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उतरी ओर सवा आठ फुट चौड़ाई में एवं पूरी लम्बाई में रास्ता स्वीकृत कर दिया गया एवं निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) भादरा के नाम आदेश जारी किया गया, जिसमें तहसीलदार (भू.अ.) भादरा द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में इंतकाल संख्या 519 दिनांक 05.09.2018 चक नं. 5 बी.एच. डी. तहसील भादरा तस्दीक किया गया, जिसमें चक न. 5 बी.एच.डी. तहसील भादरा के मु.न. 47 के किला नं. 12 से 15 एवं मु.न. 46 के किला नं. 11 में तो अकंन निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में सही दर्ज कर दिया गया लेकिन निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में मु.नं. 46 के किला नं. 12 में अकंन गलत दर्ज कर दिया गया। इसलिए इंतकाल संख्या 519 दिनांक 05.09.2018 चक नं. 5 बी.एच.डी. तहसील भादरा निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में सही दर्ज नहीं होने के कारण निरस्त योग्य हैं।

2. मु.न. 46 के किला न. 12 में अपीलान्ट के नाम 0.025 हैक्टेयर रकबा है, जिसमें से निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में रास्ता का अंकन 0.002 हैक्टेयर रास्ता का अंकन करना चाहिए था। लेकिन मातहत अदालत द्वारा 0.013 हैक्टेयर रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जो निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में दर्ज नहीं होने के कारण विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य हैं।
3. मातहत अदालत ने विधि विरूद्व इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 4 को कोई सूचना एवं नोटिस जारी नहीं किया, ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया, ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व निर्णय दिनांक 18.05.2018 का सही अवलोकन किया। यदि सही अवलोकन कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
4. अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्ट न. 2 ता 4 ने दिनांक 18.05.2018 को आपसी सहमति से रोही मौजा चक न. 5 बी.एच.डी. तहसील भादरा के मु.न. 46 के किला न. 11, 12 व मु.नं. 47 के किला न. 12 से 15 में रास्ता स्वीकृत करवाया था लेकिन निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में इंतकाल संख्या 519 दिनांक 05.09.2018 चक नं. 5 बी. एच. डी. तहसील भादरा तस्दीक किया गया। उससे पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना व नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही कभी रिकार्ड को देखा। अब रिकार्ड को देखा तो जानकारी हुई की मु.न. 46 के किला न. [illegible] का अकंन गलत दर्ज कर दिया गया है। जानकारी होते [illegible] की नकल दिनांक 07.07.2023 को प्राप्त की, तब विधि [illegible] हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकी[illegible] सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अपील पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 519 रोही मौजा चक न. 5 बी. एच.डी. तहसील भादरा दिनांक 05.09.2018 को मु.न. 46 के किला नं. 12 की हद तक निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे की उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा की अदालत के निर्णय दिनांक 18.05.2018 की पालना में मु.न. 46 के किला न. 12 में रास्ता का अंकन सही दर्ज किया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से मूल नामान्तरण तलब किया गया। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

हमनें न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण का अध्ययन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 519 रोही मौजा चक नं0 5 बी.एच.डी. दर्ज करनें में भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव नामान्तरण संख्या 519 रोही मौजा चक नं0 5 बी.एच.डी दिनांक 05.09.2018 मु0नं0 46 के किला नं0 12 की हद तक निरस्त किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से तलब शुदा मूल नामान्तरण निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 5.2.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested